OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) – II
MADHYA PRADESH, GWALIOR

(Lekha Bhavan, Jhansi Road, Gwalior, Pin: 474002)

No./Pension/DRSSA/Bihar-01/2025-26/ Date:-

To,

All District/ Sub Treasury Officers
Madhya Pradesh

Sub: - **Enhancement of Dearness Relief of State Government Pensioners/Family Pensioners w.e.f. 01.01.2025.**

Ref: -
1. Letter No.-I/1060287/2025 dated 23.07.2025 O/o the Accountant General (A&E), Bihar, Patna Pin: 800001
2. बिहार सरकार, वित्त विभाग ज्ञापांक–3ए–3–भत्ता–01/2022–5780/वि. पटना, दिनांक 21.05.2025.
3. बिहार सरकार, वित्त विभाग ज्ञापांक–3ए–3–भत्ता–02/2022–5781/वि. पटना, दिनांक 21.05.2025
4. बिहार सरकार, वित्त विभाग ज्ञापांक–3ए–3–भत्ता–03/2022–5782/वि. पटना, दिनांक 21.05.2025

I am to enclose herewith the copy of SSA received from O/o the Accountant General (A&E), Bihar, Patna which encloses Govt. of Bihar resolutions mentioned at Sl no. 2 under reference regarding Enhancement of Dearness Relief of State Government Pensioners/Family Pensioners w.e.f. 01.01.2025. The same is being placed on the official website of the office **(www.agmp.nic.in)** under the link **"Pensioners Corner"**. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

It will be the responsibility of the pension disbursing authority to download the orders mentioned above from the website and take necessary action accordingly.

Sr. Accounts Officer / Pension

No. / Pension/ DRSSA/ Bihar-01/2025-26/ 1552 Date:- 10-9-25

Endt. Copy for information-

Senior Accounts Officer/pension, O/o the Accountant General (A&E), Bihar, Patna-PIN: 800001 w.r.t. Letter No.-I/1060287/2025 dated 23.07.2025 for information.

Sd.

Sr. Accounts Officer / Pension

R-5071

SP- 910, 415, 616

109738

प्रधान महालेखाकार (लेo&हo) का कार्यालय
वीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

पत्रांक/Letter No-I/1060287/2025
दिनांक/Date- 23/07/2025

DKumar

DA-46 11.8.25

To,

The

1	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi	834002
5	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa b	403101
6	Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur	492009
7	Accountant General (A&E),, Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4&5, Sector-33-B, Chandigrah	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh , Gorton Castle Building, Shmila	171003
10	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground , Srinagar	190009
11	Pr. Accountant General (A&E),Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607. M.G. Road. Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh , Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Pr. Accountant General (A&E), Maharashtra , 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karv, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line. Nagpur	440001
16	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghlalya, Shilong	793001
18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Buildignh, Dinthar, Aizawl	796001
19	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Nagaland Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneshwar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigrah, Sector-17E, Chandigarh	160017
22	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur	302005

PA

Sh. Madhav

DA

23	Sr. Deputppy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Lucknow, Audit Bhawan, 4th Floor, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh	226010
28	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majram, Dehradun	248171
29	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.-2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
30	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
31	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
32	Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
33	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject: **Enhancement of Dearness Relief of State Government Pensioners/Family Pensioners w.e.f 01.01.2025**

Reference: Government resolution No- ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2022-5780-82/वि०, पटना, दिनांक-21.05.2025

Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concern pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Phone: 0612-2225634 Fax: 0612-2221056 Email: agaebihar@cag.gov.in

संख्या–3ए–3–भत्ता–02/2022-5781/वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:–21-05-2025

विषय:– षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01.01.2025 के प्रभाव से 246% के स्थान पर 252% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०–13832/वि०, दिनांक–24.12.2024 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक–01.07.2024 के प्रभाव से 246% की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक–1/1(2)/2025-E.II(B), दिनांक–02.04.2025 द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक–01.01.2025 के प्रभाव से 246% से बढ़ाकर 252% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः उक्त के आलोक में षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2025 के प्रभाव से 246% के स्थान पर 252% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे के योग) के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

4.3. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

4.4. महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

4.5. उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:—3ए—3—भत्ता—02/2022—5781/वि० पटना, दिनांक:—21-05-2025

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:—3ए—3—भत्ता—02/2022—5781/वि० पटना, दिनांक:—21-05-2025

प्रतिलिपि:—महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

संख्या–3ए–3–भत्ता–03/2022–.........5782...................../वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक: 21-05-2025

विषयः– **पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2025 के प्रभाव से 455% के स्थान पर 466% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प सं०–13831, दिनांक–24.12.2024 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक–01.07.2024 के प्रभाव से 455% की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक–1/1(3)/2025-E.II(B), दिनांक–02.04.2025 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक–01.01.2025 के प्रभाव से 455% से बढ़ाकर 466% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः सम्यक् विचारोपरान्त पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2025 के प्रभाव से 455% के स्थान पर 466% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. उक्त के फलस्वरूप दिनांक–01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई भत्ता की राशि को महँगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक–01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 455% से बढ़ाकर 466% कर दिया जाएगा।

4.3. पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महँगाई भत्ता/राहत परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

4.4. महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

4.5. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:–3ए–3–भत्ता–03/2022–5782/वि० पटना, दिनांक:– 21-05-2025

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:–3ए–3–भत्ता–03/2022–5782/वि० पटना, दिनांक:– 21-05-2025

प्रतिलिपि:–महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

File No. GOVT-OF BIHAR ORDERS (Computer No. 14704871)

4.3. पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महँगाई भत्ता/राहत परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

4.4. महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से क़म राशि को छोड़ दिया जाएगा।

4.5. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः—3ए—3—भत्ता—03/2022—5782/वि० पटना, दिनांकः— 21-05-2025

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः—3ए—3—भत्ता—03/2022—5782/वि० पटना, दिनांकः— 21-05-2025

प्रतिलिपिः—महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

संख्या–3ए–3–भत्ता–01/2022–..........5780........./वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:........21-05-2025

विषयः– सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/01/2025 के प्रभाव से 53% के स्थान पर 55% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०–12282/वि०, दिनांक–15/11/2024 एवं संकल्प संख्या–12283, दिनांक–15/11/2024 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01/07/2024 के प्रभाव से 53% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं०–1/1(1)/2025-E.II(B), दिनांक–02/04/2025 एवं ज्ञाप सं०–42/02/2024-P&PW(D), दिनांक– 11/04/2025 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/01/2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 53% से बढ़ाकर 55% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः उक्त के आलोक में सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/01/2025 के प्रभाव से 53% के स्थान पर 55% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे–मैट्रिक्स में विहित वेतनस्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

4.3. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

4.4. महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

4.5. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश:– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:–3ए–3–भत्ता–01/2022–5780/वि० पटना, दिनांक: 21-05-2025

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:–3ए–3–भत्ता–01/2022–5780/वि० पटना, दिनांक: 21-05-2025

प्रतिलिपि:–महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

File No. GOVT[illegible] (Computer No. [illegible]4871)